भारत में लैंगिक असमानता : कारण और समाधान

हरि चरण अहिरवार
सहायक प्राध्यापक
राजनीति विज्ञान
शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सीधी, म.प्र., भारत

लवकुश दीपेन्द्र
सहायक प्राध्यापक
राजनीति विज्ञान
शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय
जयसिंहनगर शहड़ोल म.प्र. भारत

सारांश

भारत में लिंग आधारित असमानता सदियों से एक सामाजिक मुद्दा रहा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक शिक्षा से लेकर रोजगार तक, हर जगह लैंगिक भेदभाव साफ–साफ नजर आता है। इस भेदभाव को कायम रखने में सामाजिक और राजनीतिक पहलू बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। वर्ल्ड इकोनामिक फोरम द्वारा 2020 के वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक की बात करें तो भारत 153 देशों की सूची में 112वें स्थान पर आता है। इस सूचकांक के माध्यम से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे देश में लैंगिक असमानता की जड़ें कितनी मजबूत और गहरी हैं।

लैंगिक समानता किसी समाज की वह स्थिति है जिसमें संसाधनों एवं अवसरों की उपलब्धता की दृष्टि से स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें अपनी आकांक्षाओं के अनुसार अपने जीवन में निर्णय और विकल्प बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। लैंगिक असमानता और उनके सामाजिक कारण भारत देश के विकास को भी प्रभावित करते हैं। भारत में लैंगिक असमानता एक बहुपक्षीय मुद्दा है जो देश की बड़ी आबादी को प्रभावित करता है किसी भी स्थिति में जब भारत की आबादी का सामान्य रूप से विश्लेषण किया जाता है, तो महिलाओं को अक्सर उनके पुरुष समकक्षों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है।

प्रस्तावना

असमानता समता के विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाली अवधारणा है। समानता का सामान्य अर्थ सब लोगों की बराबरी से है, मनुष्य–मनुष्य के बीच किसी भी प्रकार का भेद–भाव नहीं होना चाहिए, सबको समान शिक्षा, सुविधाएँ एवं वेतन के अवसर प्राप्त हों। भारतीय समाज में लैंगिक वैषम्य रहा है। उत्तर वैदिक काल में मातृ–सत्तात्मक परिवारों के उदाहरण मिलते हैं, किन्तु बालिका शिशु प्राप्त की आकांक्षा का अभाव उस समय भी था। पुरा वैदिक काल से ही स्त्री लैंगिक वैषम्य के कुचक्र में पिसती रही है। बाल्यावस्था से ही एक पृथक मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसका प्रमुख मंत्र सुचिता से प्रारंभ होता है, और चरित्र, आचरण एवं मर्यादाओं की असंख्य वर्जनाओं से समाप्त होता है। धार्मिक व्याख्याओं, सामाजिक, परिभाषाओं एवं पारिवारिक वर्जनाओं से महिला की प्रस्थिति में उत्तरोत्तर ह्रास हुआ है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रस्थिति मे सुधार एवं विकास के अवसर उपलब्ध कराने के वैधानिक प्रयास प्रारंभ हुए। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा लैंगिक वैषम्य को दूर करने के दृष्टिकोण से संविधान में अनेक प्रावधान किये, भारत में वैदिक काल में महिलाओं के उत्कर्ष के पश्चात् उनकी स्थिति हीन बनाने में मनु के अन्यायपूर्ण विधान

का भरपूर योगदान रहा। मध्यकाल में उनका और अधिक पतन हुआ। आक्रमणकारियों के भय ने भ्रूण हत्या, सती प्रथा, जौहर, बाल–विवाह आदि कुप्रथाओं को जन्म दिया भारत के पितृ–सत्तात्मक समाज में इन कुप्रथाओं ने और अधिक विद्रूपताओं के साथ जड़ें बना ली। नारी जीवन से जुडी असुरक्षा, दहेजप्रथा, वंश की अवधारणा, पुत्र द्वारा मोक्ष्य प्राप्ति, पुत्री का विवाहोपरांत परदेश गमन, जीवन पर्यंत पुत्र के सहारे की आकांक्षा आदि से भारतीय समाज में पुत्र मोह की तीव्रता और पुत्री के प्रति उपेक्षा का भाव भी सामान्यतः सदा व्याप्त रहा। मोटेतौर पर, महिलाएँ धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि सभी क्षेत्रों में हाशिये पर रहीं और उन्होंने अपनी हीन व गौण स्थिति को सदा नियति मानकर स्वीकार किया। इसके पीछे शास्त्र, साहित्य, परिवार में पालन–पोषण व सामाजिक व्यवस्था सभी महिलाओं को मनोवैज्ञानिक रूप से पुरुष की श्रेष्ठता व वर्चस्व एवं स्वयं के समर्पण व दासता के लिए तैयार करते हैं।

भारत में लैंगिक असमानता

विकास एक सर्वभौमिक अधिकार है व मानव अधिकारों का एक अभिन्न अंग है। लोकतांत्रिक समाज व्यवस्था का भी मूलभूत सिद्धांत यही है कि समाज के सभी वर्गों का समानता के साथ सर्वांगीण विकास एवं उन्नयन किया जाये। इस बुनियादी उद्देश्यों के बावजूद लैंगिक विभेद विश्व व्यापी स्तर पर अघोषित एवं अंतर्निहित तथ्य है। प्रकृति प्रदत्त जैविक विभेद सर्वप्रथम महिलाओं की प्रस्थिति का सार्वभौमिक मूलभूत आधार बना। स्त्री की शरीरिक संरचना एवं प्रजनन व लालन पालन की क्षमता के मद्देनजर पुरुष व स्त्री की पारंपरिक भूमिकाएँ तय हुईं। इसी से आखेट, भोजन व आवास व्यवस्था एवं आय अर्जन पुरुषों के हिस्से आये और महिलाएँ घरेलू दायित्वों तक सीमित हो गईं। यही विभाजन आगे कई स्वरूपों में चलता रहा सभी प्रकार के संसाधनों से महिलाएँ वंचित रहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, आय, रोजगार, संपत्ति, निर्णय लेने के अधिकार आदि से वंचन महिलाओं के दोयम दर्जे का कारक बना।

महिलाओं को आय, वर्ग, जाति, शिक्षा, शहरी, ग्रामीण आदि किसी भी स्तर के विभेद में स्त्रिओं को पुरुष की अपेक्षा लैंगिक विभेद के चलते दोहरी मार झेलनी पड़ी। आज भू–मण्डलीकरण एवं उदारीकरण के इस दौर में अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन हुए और एक ओर जहाँ अवसरों की उपलब्धता बढ़ी है वहीं विस्थापन की प्रक्रिया भी तीव्र हुई है। प्रदेशों, समुदायों व जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के बीच विकास की गति काफी असमान है, इसीलिए चमत्कारिक उपलब्धियों के समानान्तर जन्म व मृत्यु दर, लिंगानुपात, आर्थिक और राजनैतिक जीवन में सहभागिता दर, साक्षरता व शिक्षा के आँकडों में भयावह लैंगिक विभेद व्याप्त है। महिला संरक्षण के अनेक प्रयासों के बावजूद उनके प्रति अपराध, उत्पीड़न, शोषण व घरेलू हिंसा के भी अनेक प्रकरण बहुतायत में घटित होते हैं। पुरुष की जननी व पोषक होने के बाद भी स्त्री को स्वयं अपने ही गर्भ में जगह नहीं मिल रही है। जबकि आज से नहीं महिलाएँ सदा से जीवन गुणवत्ता व विकास के घटकों से प्रत्यक्ष व अधिक प्रभावी ढ़ंग से जुड़ी हैं, जैसे विवाह की आयु, लालन–पालन, भोजन, पोषण, स्वास्थ्य, प्रजनन, आवास, आर्थोपार्जन, शिक्षा, धर्म, यौन व्यवहार, प्रवास, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन, पर्यावरण चेतना आदि। 'सशक्त नारी, सशक्त परिवार एवं सशक्त समाज' की अवधारणा एक शाश्वत सत्य है। अतः धरातल के विरोधाभाषों और महिलाओं की विकास में भूमिका दृष्टिगत रखते हुए सामाजिक सुदृढ़ता, देश के समृद्धि व समग्र विकास के हर स्तर पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रभावी प्रयास आवश्यक हैं। भारत में महिलाओं के उद्धार के लिए ज्योतिवा फूले, राजाराम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानन्द, डॉ. भीमराव अम्बेडकर, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, दयानन्द सरस्वती, महात्मा गाँधी, महादेव गोविन्द रानाडे आदि ने विचार रखे। इनके प्रयासों ने महिलाओं के हितों में कई परिवर्तन किये। संविधान के अनुच्छेद 15(3), 16(2), 325 व 326 आदि में स्त्री पुरुष समानता के महत्वपूर्ण प्रावधानों के साथ–साथ हिन्दू विवाह तथा विवाह विच्छेद अधिनियम 1955,

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 इत्यादि ने महिलाओं के लिए विधिक समाधान दिये।

प्रकृति ने महिला–पुरुष दोनों को समान बनाया है तो प्रकृति के अनुसार महिलाएँ भी हर कार्य को कर सकती हैं तो महिला और पुरूष के कार्य में भेद क्यों? मनुस्मृति के अनुसार स्त्री स्वतंत्रता उचित नहीं है। उसको बचपन में पिता के अधीन, विवाह के बाद पति के अधीन, और विधवा होने पर पुत्र के अधीन बताया गया है। यहीं से अर्थात् उत्तर वैदिक काल एवं मध्यकाल से स्त्री की सामान्य स्थिति में कुछ गिरावट आयी जो निरंतर बढ़ती चली गई अर्थात् यहाँ से महिलाओं का अनादर होना शुरू हुआ। भारतीय समाज में महिलाओं का अनादर एवं उनसे जुड़ी समस्या का जन्म वर्तमान समाज की देन नहीं है, वरन यह तो पूर्व के समाजों की देन है, जिनका इतिहास में स्पष्ट उल्लेख है। जहाँ महिलाओं को सत्ता से दूर रखा गया और उनको घर की चारदीवारी में कैद रखा गया।

कवि तुलसीदास जी ने भी नारी को गवार, शूद्र, पशु के समान ताड़ना का अधिकारी कहा है। जहाँ इतिहास बताता हो महिला के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, जहाँ नारी की स्वतंत्रता को उचित नहीं बताया गया, उसे पति के अधीन होना चाहिए। उसके साथ पशु, गवार और शूद्र के समान व्यवहार करना, ताड़ना करना बताया गया है जो प्रकृति के नियम विरुद्ध है। इस प्रकार नारी के मान सम्मान में कमी आती गई यहाँ से पुत्र जन्म का महत्व बढ़ गया धार्मिक क्रियाकलापों में उसका महत्व पूर्व से कम हो गया। जो एक चिंतन का विषय बन गया। भारतीय समाज में नारियों के संबंध में अपनी प्राचीन या मध्यकालीन धारणा को प्रकट करके कहीं न कहीं भारतीय नारी के साथ षड़यंत्र किया है। नारी को घर की शोभा, शर्म एवं लज्जा की देवी, विनम्रता एवं मर्यादा की देवी कहा गया, नारी के इन तीन गुणों की काफी सराहना हुई। शर्म ने जहाँ नारी को चुप रहने, शान्त रहने, कुछ न बोलने से नारी को गुलाम बनाकर रखने, वह घर से बाहर न

निकल सके अर्थात् शिक्षा न प्राप्त कर सके जिससे पुरुष उसको अपने अनुसार उपयोग कर सके। नारी विनम्रता की देवी है, अर्थात् पुरुष व पति कैसा भी व्यवहार करे उसे विनम्र ही रहना है। यदि महिला लज्जा करती तो वह आज चिकित्सा की शिक्षा न प्राप्त कर पाती।

मनु के अनुसार जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। यह वाक्य नारी को झूठी तसल्ली देने के सिवाय कुछ नहीं है क्योंकि पूजा के ठीक विपरीत उसे यातनाएँ देने का कार्य हुआ है। यदि नारी पूजा में सच्चाई होती तो वह प्राचीन समय में सत्ता पर अवश्य काबिज होती। यदि नारी को घर की चारदीवारी से बाहर निकलने का अवसर मिलता तो वह अपनी शक्ति को पहचानती अपने आपको पुरुष के बराबर लाने की कोशिश करती, उस पर्यावरण में अपने आप को ढालने व स्थापित करने का कार्य करती। जिससे वह पुरुष की बराबरी कर पाती व पुरुषों से आगे निकल जाने का डर पुरुष प्रधान देश को था। जिसकी वजह से उसको स्वार्थबस उपर्युक्त गुण थोपे गये जिसे नारी ने सच मान लिया कि वह कमजोर है, अबला है उसको विनम्रता, लज्जा और मर्यादा के साथ पर्दे में रहना ही उसका धर्म है। इस तरह नारी मानसिक रूप से कमजोर बनाई गई और आज तक वह उसका पालन करती आई है और खुद जब वह सास की भूमिका निभती है तो अपनी बहू को भी यही आचरण करना सिखाती है। आज कन्या भ्रूण हत्या सर्वाधिक हो रहे हैं, लड़कियों को कम पढाना कम उम्र में विवाह, पुत्र प्राप्ति पर जन्म उत्सव, लडकियों को पोषण आहार शिक्षा आदि में असमानता जैसी कई विसंगतियाँ महिलाओं के पतन का कारण बनी हैं। महिला आर्थिक रूप से दूसरों पर आश्रित हैं, अर्थात् महिला बेरोजगारी, धार्मिक, अंधविश्वास के कारण अनादर तथा इन्हे भोग विलास के साधन मानकर कई महिलाओं को गुलाम बनाया गया।

भारत अपनी प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता पर गर्व करता है, उस संस्कृति पर जिसने महिलाओं को धोखे में रखा, इन्हें सत्ता से वंचित रखा,

दलित महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जिसकी वजह से भारत की आधी से ज्यादा आबादी अनपढ़ अशिक्षित एवं बेरोजगार होने की वजह से भारत आज विश्व के कई राष्ट्रों से विकास में पीछे है। भारत का यह पिछड़ापन और महिलाओं की दयनीय स्थिति के लिए उत्तरदायी भारतीय समाज में शिखर में बैठा हुआ वह व्यक्ति है जिसने महिला और पुरुष की असमानता को जन्म दिया है। जिसके पास ज्ञान और प्रशासन का नियंत्रण रहा। जिसने ऊँच–नीच की भावना को मान्यता दी, जिसने जातिवाद को बढ़ाया जो भारत देश और भारतीय समाज के लिए अच्छा नहीं था। भारतीय समाज में महिलाओं को पीछे रखकर समज ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया है। भारतीय पुरुष को महिलाओं के सेवा भाव, त्याग, उसके समर्पण, एवं बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि वह महिलाओं की इन्ही विशेषताओं के कारण सदैव के लिए ऋणी है।

किसी समाज का विकास नारी शिक्षा के बिना असंभव है, हमारे समाज में नारी को शिक्षित होना नितांत आवश्यक है। यदि वह निरक्षर होगी तो अपना योगदान नहीं दे पायेगी, यदि वह सुशिक्षित होगी तो वह परिवार एवं राष्ट्र सफल होगा। नारी की उन्नति एवं अवनति से समाज की उन्नति एवं अवनति जुड़ी है। वह समाज किसी भी दशा में उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता जहाँ नारियों को उचित सम्मान न हो। पुरुषों महिलाओं के प्रति अपने को ऋण भार को कम करने एवं उनके विकास हेतु उनकी समस्या का समाधान खोजना होगा।

लैंगिक असमानता को दूर करने के समाधान

महिला शिक्षा पर जोर

महिलाओं को शिक्षित करके उनकी स्थिति को बदला जा सकता है। उसके अंदर वर्षों से बैठे डर एवं लज्जा को दूर करना होगा।

वैधानिक सुरक्षा

महिलाओं को निडर बनाने के लिए राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर महिला के वैधानिक सुरक्षा के लिए इमानदारी से कानूनों को लागू करना होगा ताकि वह बिना किसी भय के अपने कार्यों को क्रियान्वित कर सके।

रोजगार के साधन

नारी को आत्मनिर्भर होना आवश्यक है आर्थिक विकास एवं अर्थव्यवस्था में महिलाओं को संगठित करना ताकि वह देश की जी.डी.पी. में अपना योगदान दे सके इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करना।

महिला सशक्तिकरण

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चलाना। तथा पुरुष दासता से मुक्ति के लिए लिए राष्ट्र एवं पुरुषों को योगदान देना।

शोषण के विरुद्ध आगे आना

महिलाओं को शोषण के विरुद्ध खड़े होने की आवश्यकता है। जिसमें पुरुषों को बढ़–चढ़कर सहयोग करना होगा। महिला आरक्षण समान रूप से सभी वर्ग की महिलाओं को उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक एवं राजनैतिक आधार पर प्रदान किया जाये।

महिलाओं के साथ निष्पक्षता एवं न्याय

महिलाओं के साथ निष्पक्ष न्याय की अनिवार्य व्यवस्था की जाय जिससे वे अपने व्यक्तित्व का विकास स्वतंत्र पूर्वक कर सके।

'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' वन स्टॉप सेंटर योजना,

'महिला हेल्पलाइन योजना' और 'महिला शक्ति केन्द्र' जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का प्रयास करना।

पंचायतीराज व्यवस्था के तहत भारत के सभी राज्यों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की जाए जिससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो।

निष्कर्ष

लैंगिक समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिपादित है। आज देश की प्रगति में नारियों ने जो योगदान दिया है वह अभूतपूर्व है। इन्होने जीवन के हर भाग में पुरुषों का सहयोग करके अपनी प्रतिभा तथा दूरदर्शिता का परिचय दिया। इनमें लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, विजय लक्ष्मी पंडित, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सरोजनी नायडू, इंदिरा गाँधी, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, मायावती, सोनिया गाँधी, जय ललिता, ममता बनर्जी, वसुन्धरा राजे सिंधिया, सुषमा स्वराज, उमा भारती, किरण बेदी, अंजुम चोपड़ा, झूलन गोस्वामी, अरून्धती रॉय, मेधा पाटकर, सानिया मिर्जा, सायना नेहवाल, पी.वी. सिंधू, हिमादास आदि प्रमुख महिला हस्तियाँ उभर कर आई हैं।

नारी विभिन्न परिस्थितियों से आज अपने आपको समाज में स्थापित करते हुए आगे बढ़ रही है विभिन्न प्रतियोगियों के साथ संघर्ष करते हुए वह अपनी प्रतिभा एवं क्षमता से परिचित करा रही हैं। कई संस्कृतियों में योगदान देने वाली नारी आज अपनी खुद की पहचान बनाने में सफल हुई है। महिलाओं में विशिष्ट जैविक अंतर, विभेद नहीं बल्कि प्रकृति प्रदत्त विशिष्टताएँ हैं, जिनमे समाज का सद्भाव और सृजन निहित है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *वर्मा, मुकेश कुमार, 2013, भूमण्डलीकरण के दौर में सामाजिक सुरक्षा एवं महिला कल्याण, प्वाइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर।*
2. *अल्टेकर, ए.एस., द पोजीशन ऑफ वोमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, मोतीलाल बनारसीलाल, वाराणसी।*
3. *जोशी, पुष्पा, 1998, गाँधी ऑन वोमेन, सेन्टर फार वोमंस डेवलपमेंट स्टडीज, दिल्ली।*

4. *आप्टे, प्रभा, 1996, भारतीय समाज में नारी, क्लासिंग पब्लिसिंग हाउस, जयपुर।*
5. *देशाई, नीरा, भारतीय समाज में नारी, मैकमिलन इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली।*
6. *आहूजा, राम, 1999, भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत प्रकाशन, जयपुर।*
7. *शर्मा, कृष्णकांत, 2007, हिन्दी कालिन्दी, शिवलाल प्रकाशन, आगरा।*
8. *लाल, रमण बिहारी एवं शर्मा, कृष्णकांत, 2010, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ।*
9. *यादव, राम गणेश, 2014, भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, ओरियंट ब्लैकसवान प्रा.लि., नई दिल्ली।*
10. *शाम, सानप, 2014, महिला सशक्तीकरण, चन्द्रलोक प्रकाशन, कानपुर।*
11. *नटाणी, प्रकाश नारायण, भारतीय संस्कृति के विविध आयाम, पिंकसिटी पब्लिशर्स, जयपुर।*
12. *विकास में महिलाओं की भूमिका (स्मारिका) शोध पत्रों का सारांश, 2008,– शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, फरवरी 2008*